



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26082026-275794
CG-MH-E-26082026-275794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4576]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2026/भाद्र 4, 1948

No. 4576]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2026/BHADRA 4, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 25 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20F के तहत

का.आ. 4761(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'च' की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले जो कि महाराष्ट्र राज्य में "भुसावल मंडल के इगतपुरी-मनमाड और भुसावल-बड़नेरा अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (10 संख्या) का प्रस्तावित निर्माण" के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	जिल्हाधिकारी	अकोला

[फा. सं. G197/BSL-BD/BSL Div/LC 44/Arbitrator/20F]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th August, 2026

Under clause 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4761(E).— In exercise of the powers conferred by **sub-section (6) of Section 20F** of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **Arbitrator** mentioned in **column (2)** of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the Special Railway Project of **“Proposed Construction of ROB & RUB (10 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Igatpuri-Manmad & Bhusawal-Badnera Section of Bhusawal Division”** in the state of Maharashtra relating to district mentioned in **column (3)** of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

TABLE

S.No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	District Collector	Akola

[F. No. G197/BSL-BD/BSL Div/LC 44/Arbitrator/20F]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)